न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

जमीलुद्दीन उर्फ जीमल पुत्र फजलुद्दीन आयु 60 साल जाति मुसलमान निवासी खार रोड करौली तहसील एवं जिला करौली राज. — अपीलार्थी

बनाम

1. नगरपरिषद करौली जरिये आयुक्त, नगर परिषद, करौली जिला करौली
2. साईना पत्नि कय्यूम आयु 36 साल जाति मुसलमान केयर ऑफ मंजूर निवासी सालौदा मोड चमनपुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज. — प्रत्यर्थीगण

अपील आदेश दिनांक 04.05.2017 एवं कर निर्धारण सूची नगर पालिका करौली फजलुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद के बजाय साईना पुत्री फईमुद्दीन के नाम दर्ज किये गये नाम को हटाने बाबत्।

निर्णय

दिनांक 23.03.2020

यह अपील फजलुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर साईना पुत्री फईमुद्दीन के नाम कर निर्धारण सूची में दर्ज करने के आयुक्त नगर परिषद करौली के आदेश दिनांक 04.05.2007 के विरुद्ध पेश की गई है।

अपील, अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलाण्ट के पिता फजलुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद का खरीदशुदा मकान खार रोड करौली में स्थित है जिसका इन्द्राज नगर पालिका करौली की कर निर्धारण सूची में क्रम संख्या 245 बरपाड़ा गत वार्ड नं. 7 में सम्पत्ति की सूची में 207 / 4 पर दर्ज है। अपीलाण्ट के पिता फजलुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद ने अपने जीवन काल में स्वेच्छा से मुझ अपीलाण्ट के हक में दिनांक 16.03.1988 को उप पंजीयक करौली के यहां वसीयत पंजीबद्ध करायी। उक्त वसीयत मुझ अपीलाण्ट के हक में अंतिम है। अपीलाण्ट के पिता फजलुद्दीन का दिनांक 25.07.99 को बमुकाम करौली देहान्त हो गया था जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलाण्ट ने दिनांक 29.09.11 को द्वितीय प्रति नगर पालिका करौली से प्राप्त की। अपीलाण्ट अपने पिता फजलुद्दीन की मृत्यु दिनांक 25. 07.99 से ही वसीयत के आधार पर वहैसियत मालिका काबिज है और अपीलाण्ट मय परिवार आज तक इस मकान में रह रहा है। अपीलाण्ट ने नगर पालिका करौली से नियमानुसार उक्त मकान की दिनांक 13.02.2003 को मंजूरी लेकर निर्माण किया है। अपीलाण्ट के पिता के दो लड़के फईमुद्दीन, जमीलुद्दीन थे। फईमुद्दीन की मृत्यु दिनांक 13.08.1980 को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में हो गई थी। फईमुद्दीन की शादी फईमुद्दीन की मृत्यु से डेढ माह पूर्व सायरा से हुई थी। सायरा ने फईमुद्दीन की मृत्यु के 5 माह बाद कदरुद्दीन मुसलमान गंगापुर सिटी से पुनः निकाह कर लिया। कदरुद्दीन के नुत्फे से सायरा के निकाह करने के डेढ साल बाद साईना पुत्री हुयी थी। साईना की शादी आज से 20 साल पूर्व कदरुद्दीन ने कय्यूम मुसलमान निवासी गंगापुर सिटी से कर दी। सायरा का फजलुद्दीन से कोई संबंध नहीं है। सायरा रेस्पोण्डेण्ट के दिल में बदनीयति आ जाने से अपीलाण्ट के उक्त मकान को हड़पने के लिए दिनांक

27.08.15 को नगर पालिका करौली में उक्त मकान को रजिस्टर में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई आपत्ति बाबत् नगर परिषद ने नोटिस जारी नहीं किया ना ही अखबार में नोटिस चस्पा किया और नगर परिषद के कर्मचारियों ने मकान पर कोई नोटिस चस्पा किये बिना और अपीलाण्ट को नोटिस नगर परिषद ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये। पटवारी ने अपीलाण्ट से पूछताछ किये बिना रिपोर्ट में साईना व जरीना को फजलुद्दीन की सईदा एवं जरीना कोई पुत्री नहीं हैं। पटवारी ने अपीलाण्ट से बिना जानकारी किये रेस्पोण्डेण्ट साईना ने अपने रिश्तेदारों से गवाही कराकर रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर गलत तरीके से साईना के नाम उक्त मकान में दर्ज कर दिया। रेस्पोण्डेण्ट साईना के प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्रों में भी हस्ताक्षर भिन्न भिन्न हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि साईना के फर्जी हस्ताक्षर हैं। रेस्पोण्डेण्ट सायरा ने कय्यूम खां पुत्र मंजूर खां के नाम से स्टाम्प क्रय कर साईना के फर्जी हस्ताक्षर कर पेश किया है। कय्यूम दिनांक 16.02.2017 को सऊदी अरब मजदूरी पर गया हुआ था। लाला एवं बाबू के फर्जी शपथ पत्र पेश किये हैं। शपथ पत्र दिनांक 16.05.15 को शपथकर्ताओं द्वारा तस्दीक किये गये हैं जबकि नोटेरी पब्लिक ने दिनांक 24.08.2015 को प्रमाणित किये हैं जो स्पष्टतया फर्जी हैं। फजलुद्दीन की मृत्यु दिनांक 25.07.99 को हुई थी लेकिन रेस्पोण्डेण्ट ने फजलुद्दीन की मृत्यु दिनांक 18.07.85 बताकर नगरपरिषद करौली से फर्जकारी कर गलत शपथ पत्र देकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.03.2015 को नगर परिषद करौली के कर्मचारियों से साज कर फर्जी तैयार किया जिससे कि रेस्पोण्डेण्ट अपीलाण्ट के मकान को हडप सके। फईमुद्दीन की मृत्यु दिनांक 13.08.80 को एस.एम.एस. हॉस्पीटल जयपुर में हुई थी लेकिन रेस्पोण्डेण्ट फर्जी शपथ पत्र पेश कर करौली में मृत्यु बताकर दिनांक 18.11.2014 को उसकी मृत्यु दिनांक 12.09.80 बताकर अपीलाण्ट के मकान को हड़पने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाया है तथा साईना का जन्म गंगापुर सिटी में हुआ है और करौली नगर परिषद से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनबाया है। रेस्पोण्डेण्ट्स द्वारा उक्त समस्त फर्जकार अपीलाण्ट की जानकारी में लाये बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर न देकर की है। मुस्लिम विधि में पुत्र के होते हुए पुत्री को पुश्तैनी सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होते हैं। अपीलाण्ट के विरुद्ध रेस्पोण्डेण्ट साईना द्वारा बदनीयति पूर्वक उक्त मकान का बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने पर दावे में दिनांक 16.08.19 को अपीलाण्ट द्वारा उपस्थिति देने पर साईना के वकील द्वारा कर निर्धारण रजिस्टर की छायाप्रति देने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 19.08.19 को नगर परिषद में नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी नगर परिषद द्वारा नकल नहीं देने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 06.09.19 को नगर परिषद करौली में सूचना का अधिकार के तहत नकल मांगने पर दिनांक 11.1019 को नकल देने पर अपील अन्दर मियाद पेश की है। अंत में कर निर्धारण सूची नगर परिषद करौली में से क्रम संख्या 245 गत वार्ड नं. 7 में सम्पत्ति सूची में 207/4 में दर्ज किये गये साईना पुत्री फईमुद्दीन का नाम हटाया जाकर अपीलाण्ट का नाम ही रहने दिये जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया है कि नगर परिषद उज्रदारी नोटिस जारी कर नियमानुसार कर निर्धारण सूची में रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 का नाम दर्ज हुआ है। यह पुश्तैती जमीन है। सायरा का जन्म दिनांक 17.11.1979 को करौली में हुआ है जिसका जन्म प्रमाण पत्र नगर परिषद करौली द्वारा जारी किया गया है। नोटिस भी मकान पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार नगर परिषद करौली द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 ने बहस के दौरान कथन किया है कि विवादित सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति है। फजलुद्दीन की मृत्यु दिनांक 18.07.1985 को हो चुकी थी इसलिये 16.03.1988 को की गई वसीयत झूंठी है। फईमुद्दीन की मृत्यु दिनांक 12.09. 1980 को हुई थी जबकि साइना का जन्म 07.11.1979 को हुआ था। साइना फईमुद्दीन की ही पुत्री है जिसका जन्म करौली में हुआ है। नगर परिषद करौली द्वारा नियमानुसार उज्रदारी नोटिस जारी करने के बाद ही रेस्पोण्डेण्ट का नाम कर निर्धारण सूची में दर्ज किया है। बंटवारे का वाद सिविल न्यायालय में दर्ज होने पर अपीलाण्ट इस अपील को लेकर आया है। अपीलाण्ट, रेस्पोण्डेण्ट का सगा चाचा है जो रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 की सम्पत्ति को हड़पना चाहता है। पुश्तैनी सम्पत्ति में मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्री का हक होता है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 की मां की शादी अपीलाण्ट के भाई फईमुद्दीन के साथ होना स्वीकार किया गया है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 का जन्म प्रमाण पत्र, फईमुद्दीन का जन्म प्रमाण पत्र नगर परिषद करौली द्वारा जारी किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के भाई फईमुद्दीन की मृत्यु से पूर्व रेस्पोण्डेण्ट नं. का जन्म हो चुका था। इसलिये रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 का अपीलाण्ट की भतीजी होना विदित होता है जिससे रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 का अपने दादाजी की सम्पत्ति में हक होना विदित होता है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 द्वारा नगर परिषद करौली को कर निर्धारण सूची में नाम दर्ज करवाने प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित किया कि उसके दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 के नाम दर्ज की जावे। अतः अपील अपीलाण्ट खाारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है तथा आयुक्त नगर परिषद करौली का निर्णय दिनांक 04.05.2017 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:09:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: